दिनांक 03.11.2022 से 30 मई 2023 तक सील किये गये भवनो की सूची।

क्र.सं.	जोन	सील किये गये भूखण्ड का पता	सील करने की दिनांक	सील करने के कारण	व्यावसायिक /आवासीय	वर्तमान स्थिति
1	03	सर्वे भूखण्ड संख्या डी–60, डी–61, डी–62 भोजपुरा कच्ची बस्ती सहकार मार्ग लालकोठी।	18.11.2022 पुनः 02.02.2023	जोन–03 के क्षेत्राधिकार में सहकार मार्ग पर अवस्थित भोजपुरा कच्ची बस्ती के सर्वे भूखण्ड संख्या–डी–60, डी–61, डी–62 में क्षेत्रफल करीब 35X31 फीट में 10 फीट रोड पर ही करीब 3'3'' की बालकानियां निकालकर 05 मंजिला निर्माणाधीन वृहद अवैध बिल्डिंग–13 फ्लैटस के अवैध निर्माण की पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। उक्त अवैध निर्माण व्यवसायिक बिल्डिंग–13 फ्लैटस के निर्माण करने का अवधान में आते ही दिनांक 02.11.2022 को धारा–32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर निर्माण कार्य बंद करवाकर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। इस के बावजूद बिल्डर द्वारा अवैध निर्माण कार्य जारी रखने अवैध निर्माण के पूर्ण होकर रहवास होने की प्रबल संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर दिनांकः–17.11.2022 को धारा 34 (क) जविप्रा अधिनियम का नोटिस जारी कर निर्माणाधीन उक्त अवैध व्यवसायिक बिल्डिंग की पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई थी। माननीय ट्रिब्यूनल जेडीए के आदेश की पालना के क्रम में 12.12.2022 को सीलमुक्त किया गया। मौके पर आगे अवैध निर्माण नहीं होने देने हेंतु गार्ड नियुक्त किये गये। उक्त आदेश के क्रम में संबंधित को सकारण आदेश व विधिक नोटिस जारी कर निर्माणकर्ता द्वारा आज दिनांक तक अवैध निर्माण नहीं हटाये जानें पर नियमानुसार आज उक्त निर्माणाधीन अवैध बिल्डिंग–13 फ्लैटस के प्रवेश द्वारों व खिडकीयों इत्यादि को आज दुबारा दिनांक–02.02.2023 को जोन–03 के राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ईंटों की दीवारों से चुनवाकर पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। जविप्रा द्वारा सीलिंग में हुये व्यय–खर्चे की नियमानुसार संबंधित से वसूली की जाएगी।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील है।

2	PRN(S)	भूखण्ड़ संख्या 35 दीपक वाटिका गैरअनुमोदित आवासीय योजना।	10.12.2022	जोन–पीआरएन (साउथ) प्रथम के क्षेत्राधिकार में अवस्थित गैरअनुमोदित आवासीय योजना दीपक वाटिका में भूखण्ड संख्या 35 के मालिक द्वारा माननीय न्यायालय के मौके की यथास्थिति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एस.बी. सिविल रिट संख्या 9574/2015 में मौके की यथास्थिति के आदेश व अवहेलना करते हुये अपने पूर्व निर्मित आवासीय निर्माण बैसमेन्ट+ग्राउण्ड मंजिल के उपर प्रथम लॉकडाउन के दौरान एक और नई मंजिल का निर्माण करने की शिकायत प्राप्त होने पर भूस्वामी दिनांक 26.06.2020 को धारा 32 जविप्रा अधिनियम का नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबन्द किये जाने के बावजूद भी भूस्वामी द्वारा अवैध निर्माण को नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर दिनांक 09.12.2022 को धारा 34(क) जविप्रा अधिनियम का नोटिस जारी कर जोन पीआरएन–साउथ के राजस्व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर नवीन निर्मित प्रथम मंजिल के निर्माण को इंजिनियरिंग शाखा की मदद से ईटो की दीवारो से चुनवाकर गेटो पर ताले सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील हैं

3	08	प्लॉट नम्बर–78, श्याम विहार कॉलानी, सांगानेर।	14.12.2022	जोन–08 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित श्याम विहार कॉलानी, सांगानेर के प्लॉट नम्बर–78 क्षेत्रफल करीब 70 बाई 65 फीट (505 वर्गगज) में जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर वॉयलेशन कर जीरो सेटबेक कवर कर बेंसमेंट+ 4 मंजिला वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग का निर्माण, जिसके बेसमेंट व ग्राउन्ड फ्लोर पर पूर्व से ही व्यवसायिक गतिविधियां संचालित एवं ऊपर की 03 मंजिलों में फीनिशिंग का कार्य किया जाना अवधान में आते ही दिनांक 02.08.2022 को धारा–32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर दिये गये। निमार्णकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय अपीलीय अधिकरण जविप्रा में अपील संख्या–622/2022 दायर की गई। माननीय न्यायालय में जविप्रा द्वारा पूर्णता, सटीकता से प्रभावी ढंग से अपना पक्ष रखा गया। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त अपील में दिनांक 14.11.2022 को निर्णय किया गया। इसकी अनुपालना में सकारण व विधिक नोटिस जारी किये गये, जिसके विरूद्ध निमार्णकर्ता द्वारा पुनः अपील संख्या–956/2022 दायर की गई। जविप्रा द्वारा माननीय न्यायालय मे पूर्णतः सटीकता से पक्ष रख प्रभावी ढंग से पैरवी की गई। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा उक्त अपील को खारिज किये जाने पर एवं निर्माण कार्य पूर्ण होकर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित–रहवास होने एवं तृतीय पक्ष को बेचान होने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त कल दिनांक 13.12.2022 को धारा 34(क) जविप्रा अधिनियम का नोटिस जारी कर उक्त बिल्डिंग में बेसमेंट में ग्राउन्ड पर पूर्व से व्यवसायिक गतिविधिया संचालित फ्लोर के ऊपर 03 मंजिल के निर्माण को दिनांक 22.09.2022 को उक्त वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग के प्रवेश द्वारों, इत्यादि को इंजिनियरिगं शाखा की मदद से ईटो की दीवारो से चुनवाकर, गेटों पर ताले, सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील हैं

4	08	खसरा नम्बर 5396/702, 5399/703 सांगानेर रेल्वे स्टेशन के सामने बोहरा फार्म हाउस।	14.12.2022	जोन–08 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित सांगानेर रेल्वे स्टेशन के सामने बोहरा फार्म हाउस की कृषि भूमि खसरा नम्बर 5396/702, 5399/703 पर बिना भूरूपान्तरण कराये बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर वॉयलेशन कर जीरो सेटबेक पर लगभग 93 बाई 30 वर्ग गज में 03 अलग–अलग निर्माणकर्ताओं द्वारा बनाये गये 4 मंजिला वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग–कॉम्प्लेक्स का जीरो सेटबैक पर अवैध निर्माण, किया जाना अवधान में आते ही दिनांक 05.09.2022 को धारा–32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी किये जाकर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया। निमार्णकर्ता द्वारा माननीय अपीलीय अधिकरण जविप्रा में अपील संख्या–701/2022, 702/2022, 703/2022 दायर की गई। माननीय न्यायालय में जविप्रा द्वारा पूर्णता, सटीकता से प्रभावी ढंग से अपना पक्ष रखा गया। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त अपील में दिनांक 09.09.2022 को निर्णय किया गया। उक्त निर्णय की अनुपालना में दिनांक 01.10.2022 को सकारण व विधिक नोटिस जारी किये गये, जिसके विरूद्ध निमार्णकर्ता द्वारा पुनः अपील दायर की गई। जविप्रा द्वारा माननीय न्यायालय मे पूर्णतः सटीकता से पक्ष रख प्रभावी ढंग से पैरवी की गई। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा उक्त अपील को खारिज किये जाने पर एवं निर्माण कार्य पूर्ण होकर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित–रहवास होने एवं तृतीय पक्ष को बेचान होने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त कल दिनांक 13.12.2022 को धारा 34(क) जविप्रा अधिनियम का नोटिस जारी कर 03 अलग–अलग निमार्णकर्ताओं द्वारा बनाये गये चार मंजिला वृहद् अवैध व्यवसायिक बिल्डिंग–कॉम्प्लेक्स को दिनांक 22.09.2022 को उक्त वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग के प्रवेश द्वारों, इत्यादि को इंजिनियरिगं शाखा की मदद से ईटो की दीवारो से चुनवाकर, गेटों पर ताले, सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील हैं

5	11	भूखण्ड संख्या–5 व 6 ग्राम मदरामपुरा–डिग्गी मालपुरा रोड।	14.12.2022	जोन–11 के क्षेत्राधिकार में ग्राम मदरामपुरा–डिग्गी मालपुरा रोड पर कृषि भूमि पर अवस्थित गैर अनुमोदित योजना विक्रमादित्य नगर में भूखण्ड संख्या–5 व 6 क्षेत्रफल, करीब 50 x 35 फीट (194.44 वर्गगज) में जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के दो भूखण्डों का बिना पुनगर्ठन कराये, बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर वॉयलेशन कर पूर्वनिर्मित बेसमेंट व भूतल निर्माण के ऊपर नवीन निर्मित 03 मंजिल के वृहद् अवैध व्यावसायिक निर्माण की शिकायत प्राप्त होने पर भूस्वामी को दिनांक 17.09.2022 को धारा–32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी किये जाकर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया जाने के बावजूद अवैध निर्माण को जारी रखने एवं निर्माण पूर्ण होकर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित–रहवास होने एवं तृतीय पक्ष को बेचान होने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त कल दिनांक 13.12.2022 को धारा 34(क) जविप्रा अधिनियम का नोटिस जारी कर दिनांक 14.12.2022 को उक्त वृहद अवैध नवीन निर्मित 03 मंजिल के निर्माण प्रवेश द्वारों, इत्यादि को इंजीनियरिगं शाखा की मदद से ईटो की दीवारो से चुनवाकर, गेटों पर ताले, सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील हैं
6	08	खसरा नम्बर– 1155 डिग्गी मालपुरा रोड़ मदरामपुरा में।	15.12.2022	जोन–08 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित डिग्गी मालपुरा रोड़ मदरामपुरा में कृषि भूमि पर खसरा नम्बर– 1155 क्षेत्रफल करीब 50x120 में बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लघन कर टीनशेड डालकर वृहद अवैध व्यवसायिक गौदाम का निर्माण करने की शिकायत प्राप्त होने पर भूस्वामी को दिनांक 31.08.2022 को धारा–32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी किये जाने के बावजूद अवैध निर्माण को जारी रखने एवं निर्माणपूर्ण होकर अवैध व्यवसायिक गतिविधियां संचालित होने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त कल दिनांक 14.12.2022 को धारा 34(क) जविप्रा अधिनियम का नोटिस जारी कर दिनांक 15.12.2022 को जोन–08 के राजस्व तकनीकी स्टाफ की निशादेही पर उक्त वृहद अवैध गौदाम के प्रवेश द्वारों, इत्यादि को इंजिनियरिगं शाखा की मदद से ईटो की दीवारो से चुनवाकर, गेटों पर ताले, सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील हैं

17	08	भू.सं. 16,17,18,19 नारायण विहार–सी रामपुरा रोड सांगानेर	03.03. 2023	जोन–08 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित गैर अनुमोदित आवासीय योजना नारायण विहार–सी, रामपुरा रोड सांगानेर में जेडीए की बिना अनुमति–स्वीकृति के भू.सं. 16,17,18,19 उक्त 04 भूखण्डों को अवैध रूप से संयुक्त कर क्षेत्रफल करीब 600 वर्गगज में व्यावसायिक प्रयोजनार्थ निर्माणाधीन वृहद अवैध बैसमेन्ट + 02 मंजिला बिल्डिंग के उपर तीसरी मंजिल के पिल्लर निकालकर किये गये अवैध निर्माण की पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। उक्त अवैध निर्माणाधीन व्यावसायिक वृहद अवैध निर्माण का अवधान में आते ही निर्माणकर्ता को दिनांक 16.01.2023 को धारा–32, 33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण कार्य रूकवाया जा कर हटाने हेतु पाबंद किया गया। निर्माणकर्ता द्वारा जारी नोटिसो के विरूद्ध माननीय न्यायालय अपीलीय अधिकरण जविप्रा में अपील सं. 80/23 दायर की गई, जिसमें 19.01.2023 को माननीय न्यायालय के दिये गये आदेश की पालना में सकारण एवं विधिक नोटिस किये गये। निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने व अवैध रहवास–व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर दिनांक 03.03.2023 को जोन–08 के राजस्व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा इन्जीनियरिंग विंग की सहायता से उक्त अवैध व्यावसायिक बैसमेन्ट + 02 मंजिला बिल्डिंग के प्रवेश द्वारा सीढियों इत्यादि को ईटो की दिवार से चुनवा कर गेटो पर सील–चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील हैं

19	05	भूखण्ड संख्या–42, 43 गोविंद विहार कॉलोनी, गुर्जर की थड़ी।	16.03. 2023	जोन–05 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित भूखण्ड संख्या–42, 43 गोविंद विहार कॉलोनी, गुर्जर की थड़ी में गैरअनुमोदित आवासीय योजना में क्षेत्रफल 27X73 फीट (करीब 219 वर्गगज) में संपूर्ण सेटबैक्स कवर कर जीरो सेटबैक पर रोड़ सीमा में 03 फीट की बॉलकनियां निकालते हुए 03 मंजिला वृहद् अवैध व्यवसायिक बिल्डिंग–20 निर्माणाधीन हॉस्टलनुमा कमरों का निर्माण करने व चतुर्थ मंजिल के लिए पिलर खड़े किये जाने का अवधान में आने पर दिनांकः 22.02.2023 को धारा–32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। प्रस्तुत जवाब का परीक्षण प्रवर्तन शाखा की तकनीकी टीम से करवाया गया, जो असंतोशप्रद पाया गया। निर्माणकर्ता द्वारा उक्त अवैध निर्माण नहीं हटाने एवं उक्त अवैध निर्माण पूर्ण होकर अवैध रहवास–व्यवसायिक गतिविधियां संचालित होने की प्रबल संभावनाओं को दृश्टिगत रखते हुए सक्षम स्तर से सीलिंग की स्वीकृति–अनुमति प्राप्त कर दिनांकः 16.03.2023 को जोन–05 के राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा इंजीनियरिंग विंग की सहायता से उक्त अवैध वृहद् व्यवसायिक बिल्डिंग–20 निर्माणाधीन हॉस्टलनुमा कमरों के प्रवेश द्वारों, सीढ़ियों इत्यादि को ईंटों की दीवारों से चुनवाकर गेटो पर सील–चपडी लगाकर पुख़्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील हैं

~~10~~ 20	05	भूखण्ड़ संख्या–47, 48 आवासीय योजना अशोक विहार, ।कार गुर्जर की थड़ी	18.03.2023	जोन–05 के क्षेत्राधिकार गुर्जर की थड़ी में अवस्थित गैरअनुमोदित आवासीय योजना अशोक विहार में दो भूखण्डों– भूखण्ड संख्या–47, 48 को अवैध रूप से संयुक्त कर संपूर्ण सेटबैक को कवर कर जीरो सेटबैक पर रोड़ सीमा में बॉलकनियां निकालकर बेसमेंट+04 मंजिला वृहद् अवैध निर्माणाधीन व्यवसायिक बिल्डिंग–32 हॉस्टलनुमा कमरें इत्यादि अवैध निर्माण की नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। उक्त गैरअनुमोदित योजना में बिना एकीकरण करायें दोनों भूखण्ड़ों को संपूर्ण सेटबैक कवर कर प्रत्येक फ़्लोर पर रोड़ सीमा में 03–03 फीट की बॉलकनियां निकालकर लगभग 38X43 फ़ीट (क्षेत्रफ़ल 181.55 वर्गगज़) में बेसमेंट+04 मंजिला वृहद् व्यवसायिक निर्माण कुल 32 कमरों के हॉस्टल के द्रुत गति से निर्माणाधीन होने का अवधान में आते ही दिनांकः 15.02.2023 को धारा 32,33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया जाकर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर उक्त वृहद स्तर के अवैध निर्माण को हटाने हेतु पाबंद किया गया था। इसके बावजूद भी निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नही हटाया गया। उसके द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण प्रवर्तन तकनीक टीम से करवाया जो असंतोषप्रद पाया गया। वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग–32 हॉस्टलनुमा कमरों का निर्माण पूर्ण होकर अवैध रहवास–व्यावसायिक गतिविधियॉ संचालित होने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर दिनांक 18.03.2023 को जोन–05 के उक्त वृहद् अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग–32 हॉस्टलनुमा कमरों के प्रवेश द्वारों, इत्यादि को इंजीनियरिगं शाखा की मदद से ईंटो की दीवारो से चुनवाकर, गेटों पर ताले, सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील हैं

20 21	06	प्लॉट नम्बर 3 परसराम नगर ढेहर के बालाजी, भवानी निकेतन के पास, सीकर रोड़	18.03.2023	जोन–06 के क्षेत्राधिकार ढेहर के बालाजी, भवानी निकेतन के पास, सीकर रोड़ पर अवस्थित अनुमोदित योजना स्कीम नं. 3 परसराम नगर के प्लॉट नम्बर 3 में क्षेत्रफल करीब 280 वर्गगज़ में आगे की तरफ़ जीरो सेटबैक तथा पीछे साइड में सेटबैक को कवर कर जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के बिल्डिंग बॉयलाज का गंभीर वॉयलेशन करते हुए 04 मंजिला वृहद् व्यवसायिक बिल्डिंग–05 फ्लैटस का अवैध निर्माण किये जाने पर दिनांकः 01.03.2023 को धारा 32,33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया जाकर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर उक्त अवैध निर्माण को हटाने हेतु पाबंद किया गया था। इसके बावजूद भी अवैध निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नही हटाया उक्त अवैध निर्माण पूर्ण होकर व्यावसायिक गतिविधियॉ संचालित होने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त दिनांक 18.03.2023 को जोन–06 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर उक्त अवैध वृहद् व्यावसायिक बिल्डिंग–05 फ्लैट्स के प्रवेश द्वारों, इत्यादि को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ईंटो की दीवारों से चुनवाकर, गेटों पर ताले, सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील हैं

6 / 7	08	भूखंड संख्या 5 व 6 सुन्दर नगर ग्राम–बाढ़ मोहनपुरा में अवस्थित अनुमोदित आवासीय कॉलोनी में।	15.12.2022	जोन–08 के क्षेत्राधिकार में ग्राम–बाढ़ मोहनपुरा में अवस्थित अनुमोदित आवासीय कॉलोनी सुन्दर नगर में भूखंड संख्या 5 व 6 दो भूखंडो को अवैध रूप से संयुक्त कर बिना एकीकरण करवाए क्षेत्रफल करीब 338 वर्ग गज में बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लघन कर टीनशेड डालकर वृहद अवैध व्यवसायिक गौदाम का निर्माण करने की शिकायत प्राप्त होने पर भूस्वामी को दिनांक 21.09.2022 को धारा–32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया जाने के बावजूद अवैध निर्माण को जारी रखने एवं निर्माणपूर्ण होकर अवैध व्यवसायिक गतिविधियां संचालित होने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त कल दिनांक 14.12.2022 को धारा 34(क) जविप्रा अधिनियम का नोटिस जारी कर दिनांक 15.12.2022 को जोन–08 के राजस्व तकनीकी स्टाफ की निशादेही पर उक्त वृहद अवैध गौदाम के प्रवेश द्वारों, इत्यादि को इंजिनियरिगं शाखा की मदद से ईटो की दीवारो से चुनवाकर, गेटों पर ताले, सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील हैं
8	04	प्लॉट नम्बर–30 व 31 गैरअनुमोदित आवासीय योजना विष्णु एनक्लेव जवाहर सर्किल के पास।	15.12.2022	जोन–04 के क्षेत्राधिकार में जवाहर सर्किल के पास अवस्थित गैरअनुमोदित आवासीय योजना विष्णु एनक्लेव के प्लॉट नम्बर–30 व 31 क्षेत्रफल करीब (702 वर्गगज) में जविप्रा की बिना स्वीकृति व अनुमोदन के दो भूखण्डों को अवैध रूप से एकीकृत कर बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर वॉयलेशन कर जीरो सेटबेक पर 4 मंजिला वृहद अवैध बिल्डिंग का निर्माण कर पांचवी मंजील पर पिल्लर बनाने का कार्य निमार्णाधीन होना अवधान में आने पर दिनांकः 15.6.2022 को धारा 32,33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर निर्माण कार्य रूकवाया जाकर अवैध निर्माण को हटाने हेतु पाबंद किये जाने के उपरान्त भी निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण निरंतर जारी रखने एवं निर्माणपूर्ण होकर रहवास–व्यवसायिक गतिविधियां संचालित होने अथवा तृतीय पार्टी को बेचान होने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त कल दिनांक 14.12.2022 को धारा 34(क) जविप्रा अधिनियम का नोटिस जारी कर दिनांक 15. 12.2022 को उक्त वृहद अवैध बिल्डिंग के प्रवेश द्वारों, इत्यादि को इंजिनियरिगं शाखा की मदद से ईटो की दीवारो से चुनवाकर, गेटों पर ताले, सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग कार्यवाही की गई	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील हैं

9	10	भूखंड संख्सा 341,342,343,344 गैर–अनुमोदित योजना बसंत विहार B विजयपुरा रोड़।	15.12.2022	जोन–10 क्षेत्राधिकार इकोलॉजिकल जोन में विजयपुरा रोड़ पर अवस्थित गैर–अनुमोदित योजना बसंत विहार B में बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लघन कर भूखंड संख्सा 341,342,343,344 इकजाई कर क्षेत्रफल 60x31 वर्ग फीट में 4 अवैध विलाज तथा भूखंड संख्या 345, 346, 347 को इकजाई कर क्षेत्रफल करीब 45X30 वर्ग फीट में 3 अवैध विलाज (कुल 7 अवैध विलाज) का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ निर्माण किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर भटीनशेड डालकर वृहद अवैध व्यवसायिक गौदाम का निर्माण करने की शिकायत प्राप्त होने पर भूस्वामी को दिनांक 10.08.2022 को धारा–32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किये किये जाने के बावजूद अवैध निर्माण जारी रखने एवं निमार्णपूर्ण होकर अवैध रहवास होने तथा तृतिय पार्टी को बेचान होने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त दिनांक 14.12.2022 को धारा 34(क) जविप्रा अधिनियम का नोटिस जारी कर आज दिनांक 15.12.2022 को जोन–10 के राजस्व तकनीकी स्टाफ की निशादेही पर उक्त अवैध 7 विलाजो के प्रवेश द्वारों, इत्यादि को इंजिनियरिगं शाखा की मदद से ईटो की दीवारो से चुनवाकर, गेटों पर ताले, सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग कार्यवाही की गई	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील हैं
10	10	पालड़ी मीणा, आगरा रोड़।	15.12.2022	जोन–10 क्षेत्राधिकार इकोलॉजिकल जोन में आगरा रोड़ पर अवस्थित पालड़ी मीणा में निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लघन कर करीब 94X23 वर्ग फीट व्यवसायिक प्रयोजनार्थ 8 अवैध दूकानो का निर्माण किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर भूस्वामी को धारा–32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया। जारी नाटिसो के प्राप्त जवाबो का परीक्षण करवाया गया जो असंतोषप्रद पाए जाने पर एवं निमार्णपूर्ण होकर अवैध व्यवसायिक गतिविधियां होने तथा तृतिय पार्टी को बेचान होने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त कल दिनांक 14.12.2022 को धारा 34(क) जविप्रा अधिनियम का नोटिस जारी कर दिनांक 15.12.2022 को जोन–10 के राजस्व तकनीकी स्टाफ की निशादेही पर उक्त अवैध 8 दूकानो के प्रवेश द्वारों, इत्यादि को इंजिनियरिगं शाखा की मदद से ईटो की दीवारो से चुनवाकर, गेटों पर ताले, सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक 08 दुकाने	वर्तमान में सील हैं

11	05	प्लॉट नं. 51, 51ए शिवपथ सोडाला रामनगर।	22.12.2022	जोन–05 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित गैर अनुमोदित योजना रामनगर शिवपथ सोडाला के प्लॉट नं. 51, 51ए क्षेत्रफल करीब 353.33 वर्गगज में 02 भूखण्डो को अवैध रूप से एकीकरण कर जविप्रा की बिना अनुमति एवं अनुमोदन कराये सडक सीमा में छज्जे, बालकोनी, एलीवेशन इत्यादि निकाल कर जीरो सेटबेक पर बिल्डिंग बायलॉज का उल्लघंन कर गंभीर प्रकृति का 05 मंजिला वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग–16 फ्लेटस के अवैध निर्माण करने का अवधान में आते ही दिनांक 07.12.2022 को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहसत नोटिस जारी कर निर्माण कार्य बन्द करवाकर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबन्द किये जाने के बावजूद भी बिल्डर द्वारा अवैध निर्माण जारी रखने पर निर्माण में प्रयुक्त औजार उपकरणों की जप्ती की गई। आगे अवैध निर्माण नहीं होने देने के लिए गार्ड नियुक्त किये गये। घनी आबादी क्षेत्र में वृहद व गंभीर प्रकृति का अवैध निर्माण का पूर्ण होकर रहवास होने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर दिनांक 21.12.2022 को धारा 34(क) जविप्रा अधिनियम का नोटिस जारी कर उक्त 05 मंजिला अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग–16 फ्लेटस के खिडकियों इत्यादि को प्रवर्तन दस्ते द्वारा इंजिनियरिंग शाखा की मदद से ईटो की दीवारो से चुनवाकर पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील हैं
12	PRN(N)	भूखण्ड संख्या–330, रजनी विहार।	02.02.2023	जोन–पी आर एन (नॉर्थ) के क्षेत्राधिकार में अवस्थित आवासीय योजना रजनी विहार के भूखण्ड संख्या–330 क्षेत्रफल करीब 291 वर्गगज में जविप्रा की बिना स्वीकृति व अनुमोदन के आगे एवं साइड में जीरों सेटबैक पर एवं पीछे के 10 फीट सेटबैक में से 07 फीट को कवर कर बिल्डिंग बॉयलाज का गंभीर उल्लंघन कर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ निर्माणाधीन 04 मंजिला वृहद अवैध बिल्डिंग उक्त अवैध निर्माण का अवधान में आते ही भूखण्ड स्वामी को दिनांक 02.11.2022 को धारा–32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर निर्माण कार्य बंद करवाकर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किये जाने के उपरांत भी अवैध निर्माण निरंतर जारी रखने एवं अवैध निर्माण के पूर्ण होकर रहवास होने की प्रबल संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर कल दिनांकः–01.02.2023 को धारा 34 (क) जविप्रा अधिनियम का नोटिस जारी कर नियमानुसार आज उक्त निर्माणाधीन अवैध बिल्डिंग के प्रवेश द्वारों, सीढियों व खिडकीयों इत्यादि को दिनांक–02.02.2023 को जोन–पी आर एन (नॉर्थ) के राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ईंटों की दीवारों से चुनवाकर पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। जविप्रा द्वारा सीलिंग में हुये व्यय–खर्चे की नियमानुसार संबंधित से वसूली की जाएगी।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील हैं

13	05	भूखण्ड संख्या 294–ए, पदमावती कॉलोनी–प्रथम	02.02.2023	जोन–05 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित पदमावती कॉलोनी प्रथम भूखण्ड संख्या 294–ए, क्षेत्रफल करीब 367 वगर्गज में जविप्रा की बिना स्वीकृति व अनुमोदन के बिल्डिंग बॉयलाज का गंभीर उल्लंघन कर पूर्व में बने ढांचे पर बेसमेंट+04 मंजिला अवैध व्यवसायिक निर्माण पुनः शुरू कर आगे बढना अवधान में आते ही दिनांकः 29.12.2022 को धारा–32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर निर्माण कार्य बंद करवाकर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। अवैध निर्माणकर्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण प्रवर्तन शाखा की तकनीकी टीम से करवाया गया जो असंतोषप्रद पाया गया आवासीय भूखंड पर बेसमेंट+04 मंजिला अवैध व्यवसायिक निर्माण को सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर उक्त अवैध निर्माण के प्रवेश द्वारों इत्यादि को दिनांक–02.02.2023 को जोन–05 के राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ईंटों की दीवारों से चुनवाकर पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। जविप्रा द्वारा सीलिंग में हुये व्यय–खर्चे की नियमानुसार संबंधित से वसूली की जाएगी।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील हैं
14	09	भूखण्ड संख्या–12एफ गायत्री कॉलोनी, टोंक रोड सांगानेर पुलिया।	14.02.2023	जोन–09 के क्षेत्राधिकार में टोंक रोड सांगानेर पुलिया से उतरते ही अवस्थित गैर अनुमोदित आवासीय योजना गायत्री कॉलोनी में भूखण्ड संख्या–12एफ में क्षेत्रफल 38X77 फीट (करीब 336.14 वर्गगज) में जेडीए की बिना अनुमति–अनुमोदन के सेटबैक्स बॉयलाज का गंभीर उल्लंघन कर बन रही बेसमेंट+05 मंजिला वृहद अवैध व्यवसायिक बिल्डिंग–होटल के अवैध निर्माण की पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। उक्त गंभीर प्रकृति के व्यवसायिक बिल्डिंग–होटल के निर्माणाधीन अवैध निर्माण के अवधान में आते ही निर्माणकर्ता को दिनांक 03.12.2022 धारा–32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर निर्माण कार्य बंद करवाकर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था, मौके पर आगे अवैध निर्माण नहीं होने देने हेतु गार्ड नियुक्त किये गये थे संबंधित निर्माणकर्ता द्वारा ट्रिब्यूनल जविप्रा में दायर अपील स्थगन आदेश थे। जविप्रा द्वारा माननीय न्यायालय में अपना पक्ष पूर्णता–सटीकता से प्रभावी ढंग से रखा गया उक्त अपील में दिनांक– 02.01.2023 के निर्णयानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही कर दिनांकः 13.02.2023 को धारा 34 (क) जविप्रा अधिनियम का नोटिस जारी कर अवैध निर्माण के पूर्ण होकर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित होने की प्रबल संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर – उक्त गंभीर प्रकृति की वृहद व्यवसायिक बेसमेंट+05 मंजिला बिल्डिंग–होटल के प्रवेश द्वारों, सीढियों व खिडकीयों इत्यादि को दिनांक–14.02.2023 को जोन–09 के राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ईंटों की दीवारों से चुनवाकर पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील हैं

15	09	भूखण्ड संख्या–43, संतोष विहार, एनआरआई चौराहा के पास।	14.02.2023	जोन–09 के क्षेत्राधिकार में एनआरआई चौराहा के पास अवस्थित गैर अनुमोदित आवासीय योजना संतोष विहार में भूखण्ड संख्या–43 में क्षेत्रफल 25X53 फीट (करीब 147.22 वर्गगज) में व्यवसायिक प्रयोजनार्थ बेसमेंट+03 मंजिला वृहद अवैध व्यवसायिक बिल्डिंग की पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। उक्त अवैध बेसमेंट+03 मंजिला वृहद अवैध गंभीर प्रकृति का अवैध निर्माण करने पर निर्माणकर्ता को दिनांक 19.08.2022 को धारा–32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर निर्माण कार्य बंद करवाकर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। निर्माणकर्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब परीक्षणोंपरांत असंतोषप्रद पाया गया नोटिस देकर अवैध निर्माण को रूकवाने के बावजूद भी आगे अवैध निर्माण होने पर अवैध निर्माण में प्रयुक्त औजार–उपकरणों की जब्ती की गई थी। निमार्णकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर अवैध निर्माण के पूर्ण होकर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित होने की प्रबल संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर दिनांकः–13.02.2023 को धारा 34 (क) जविप्रा अधिनियम का नोटिस जारी कर उक्त गंभीर प्रकृति की बेसमेंट+03 मंजिला बिल्डिंग के प्रवेश द्वारों, सीढ़ियों व खिडकीयों इत्यादि को दिनांक–14.02.2023 को जोन–09 के राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ईंटों की दीवारों से चुनवाकर पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील हैं
16	05	भूखण्ड संख्या–139, श्री गोपाल नगर, गोपालपुरा बाईपास।	15.02.2023	जोन–05 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित गोपालपुरा बाईपास 60 फीट रोड श्री गोपाल नगर में भूखण्ड संख्या–139 में क्षेत्रफल करीब 23X27 फीट (69 वर्गगज) में जीरों सेटबैक पर गंभीर प्रकृति की बनी 05 मंजिला वृहद अवैध व्यवसायिक बिल्डिंग के पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। उक्त अवैध 05 मंजिला व्यवसायिक बिल्डिंग के निर्माणाधीन होने का अवधान में आने पर निर्माणकर्ता को दिनांक 03.12.2022 को धारा–32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर निर्माण कार्य बंद करवाकर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। अवैध निर्माण जारी रखने पर अवैध निर्माण में प्रयुक्त औजार–उपकरणों की जब्ती की गई आगे अवैध निर्माण नहीं होने देने हेतु गार्ड नियुक्त किये गये प्रस्तुत जवाब का परीक्षण तकनीकी टीम प्रवर्तन शाखा से करवाया गया। जो असंतोषप्रद पाया गया। अवैध निर्माण नहीं हटाने पर अवैध निर्माण के पूर्ण होकर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित होने की प्रबल संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर दिनांकः–14.02.2023 को धारा 34 (क) जविप्रा अधिनियम का नोटिस जारी कर उक्त गंभीर प्रकृति की वृहद व्यवसायिक 05 मंजिला बिल्डिंग के प्रवेश द्वारों, सीढ़ियों व खिडकीयों इत्यादि को दिनांक–15.02.2023 को जोन–05 के राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ईंटों की दीवारों से चुनवाकर पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील हैं

~~18~~ 17	01	भूखण्ड़ संख्या बी–20, बी–21 लाल बहादुर नगर गिरधर मार्ग जयपुर।	19.02.2023	जोन–01 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित आवासीय योजना लाल बहादुर नगर गिरधर मार्ग, जयपुर के भूखण्ड संख्या बी–20, बी–21 दोनो आवासीय भूखण्डो को बिना जेडीए से एकीकरण कराये जविप्रा की बिना स्वीकृति अनुमोदन के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लघंन कर अवैध व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बेसमेन्ट+5 मंजिला पूर्ण व छठि मंजिल के आंशिक भाग में बनी व्यावसायिक अवैध बिल्डिंग की उसके निर्माणकर्ताओं के परिवारो के रहवास की तीन मंजिलो को छोडकर शेष पूरी बिल्डिंग की इंजिनियरिंग विंग की सहायता से पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। उक्त वृहद अवैध बिल्डिंग भूखण्ड संख्या बी–20 व बी–21 करीब क्षेत्रफल 900 वर्गगज में पूर्व में हुये अवैध निर्माण आगे बढने का अवधान में आते ही दिनांक 13.11.2020 धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर निर्माण रूकवाय जाकर हटाने हेतु पाबन्द किया गया। प्रकरण में अवैध निर्माणकर्ताओं द्वारा माननीय न्यायालय अपीलीय अधिकरण, जविप्रा, जयपुर में अपील संख्या 459/2020 दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये कार्यवाही करने के आदेश दिये अवैध निर्माणकर्ताओं द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने और शेष भाग में भी अवैध रहवास अथवा व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने की प्रबल संभावनाओं को दष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर दिनांक 18.02.2023 को जेडीए संशोधित अधिनियम 2010 की धारा 34(क) का नोटिस जारी कर आवासीय योजना में उक्त अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग के द्वितीय , तृतीय व चतुर्थ मंजिलो के प्रवेश द्वारो, सिढीयों इत्यादि को जोन–01 के राजस्व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा इंजिनियरिंग विंग की सहायता से ईटो की दीवारो से चुनवाकर पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील हैं

21	07	भूखण्ड संख्या–1/466ए चित्रकूट आवासीय कॉलोनी	01.04.2023	जोन–07 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित चित्रकूट आवासीय कॉलोनी के भूखण्ड संख्या–1/466ए क्षेत्रफल करीब 263 वर्गगज में जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के जीरो सेटबैक पर बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर वॉयलेशन कर निर्माणाधीन बेसमेन्ट+04 मंजिला वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग इत्यादि अवैध निर्माण की पुख़्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। उक्त गंभीर प्रकृति की वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग का निर्माण किये जाना अवधान में आने पर भूस्वामी को दिनांक 11.10.2022 को धारा 32,33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया जाकर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर उक्त वृहद् स्तर के अवैध निर्माण को हटाने हेतु पाबंद किया गया था। इसके बावजूद भी भूस्वामी द्वारा अवैध निर्माण जारी रखने पर अवैध निर्माण में प्रयुक्त औज़ारों–उपकरणों की नियमानुसार ज़ब्ती की गई। निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नही हटाने एवं अवैध रहवास–व्यावसायिक गतिविधियॉ संचालित होने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर उपरान्त दिनांक 31.03.2023 को धारा 34(क) का नोटिस जारी कर दिनांक 01.04.2023 को जोन–07 के राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशादेही पर उक्त वृहद् अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग के प्रवेश द्वारों, खिड़कियों, सीढ़ियों इत्यादि को इंजीनियरिगं शाखा की मदद से ईंटो की दीवारों से चुनवाकर, गेटों पर ताले, सील चपड़ी लगाकर पुख़्ता सीलिंग कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील हैं

23	08	भूखण्ड संख्या–एस.सी.–166, योजना ''वेस्ट वे हाईट्स'	01.04.2023	जोन–08 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित जविप्रा की स्वयं की योजना ''वेस्ट वे हाईट्स'' के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या–एस.सी.–166, क्षेत्रफल करीब 35X50 फीट में रोड़ सीमा में 04 फीट बॉलकनी निकालते हुए स्वीकृत ऊँचाई से एक मंजिल अधिक (बेसमेंट+03) मंजिल व्यावसायिक अवैध बिल्डिंग इत्यादि अवैध निर्माण की पुख़्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। उक्त अवैध निर्माणाधीन व्यावसायिक बिल्डिंग का अवधान में आने पर भूस्वामी को दिनांक 19.02.2022 को धारा 32,33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी किये गये। जारी नोटिसों के विरूद्ध भूस्वामी द्वारा माननीय अपीलीय न्यायालय में अपील दायर की गई, जिसमें पारित निर्णय दिनांकः–11.01.2023 की पालना में अवैध निर्माणकर्ता को दिनांकः–21.03.2023 को विधिक नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया। निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने एवं अवैध रहवास–व्यावसायिक गतिविधियॉ संचालित करने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर दिनांक 31.03.2023 को धारा 34(क) का नोटिस जारी कर दिनांक 01.04.2023 को जोन–08 के राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशादेही पर उक्त वृहद् अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग के प्रवेश द्वारों, खिड़कियों, सीढ़ियों इत्यादि को इंजीनियरिगं शाखा की मदद से ईंटो की दीवारों से चुनवाकर, गेटों पर ताले, सील चपड़ी लगाकर पुख़्ता सीलिंग कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील हैं
24	09	भूखंड सं-1, गैर अनुमोदित योजना रामप्रताप कोलोनी	24.04.2023	जोन–09 के क्षेत्राधिकार में गैर अनुमोदित योजना रामप्रताप कोलोनी के भूखंड सं-1 ;क्षेत्रफल लगभग 405 वर्ग गज) में जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के सड़क सीमा में लगभग 3 फिट छज्जा निकालते हुए लगभग 40X91 फिट में व्यावसायिक प्रयोजनार्थ दो मंजिला वृहद एवं गंभीर प्रकृति का निर्माणाधीन अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग की पुख़्ता सीलिंग की कार्वाई सुनिश्चित की गई। उक्त अवैध निर्माण के अवधान में आने पर दिनांक: 04.01.2023 को धारा 32ए 33 जविप्रा अधिनियम का नोटिस जारी किये जाकर अवैध निर्माण को हटाने हेतु पाबंद किया गया था। निर्माणकर्ता से प्राप्त जवाब परीक्षण में असंतोषजनक पाया गया है। अवैध निर्माण जारी रखने पर दिनांक: 22.04.2023 को निर्माण औजारों की जब्ती की गई। उक्त वृहद व गंभीर प्रकृति के अवैध निर्माण के पूर्ण होकर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने की प्रबल संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक: 23.04.2023 को धारा 34(क) जविप्रा अधिनियम का नोटिस जारी किया जाकर आज दिनांक: 24.04.2023 को उक्त वृहद् अवैध निर्माणाधीन व्यावसायिक बिल्डिंग को इंजीनियरिंग विंग की सहायता से प्रवेश द्वारों पर ईंटों की दीवारें चुनवाकर नियमानुसार पुख़्ता सीलिंग की कार्वाई सुनिश्चित की जा रही है।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील हैं

25	13	खसरा नम्बर–239, सीकर रोड़ हाईवे पर टोल नाके के पास टाटियावास।	25.04. 2023	जोन–13 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित सीकर रोड़ हाईवे पर टोल नाके के पास टाटियावास में खसरा नम्बर–239 निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना भू–रूपान्तरण करवाये क्षेत्रफल करीब 97X45 फीट (485 वर्गगज) में जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर वॉयलेशन कर निर्माणाधीन 03मंजिला ढांचें, व ऊपर पिल्लर निकालकर बन रहें गंभीर प्रकृति के वृहद अवैध बिल्डिंग–होटल इत्यादि अवैध निर्माण के पुख़्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। उक्त गंभीर प्रकृति के अवैध निर्माण के अवधान में आने पर भूस्वामी को दिनांक 09.03.2022 को धारा 32,33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर उक्त वृहद स्तर के अवैध निर्माण को हटाने हेतु पाबंद किया गया था। इसके बावजूद भी भूस्वामी द्वारा अवैध निर्माण नही हटाया व तीसरी मंजिल की छत डालकर होटल प्रयोजन हेतु कमरों का निर्माण कार्य कर लिया गया। उक्त निर्माणाधीन वृहद् व गंभीर प्रकृति के अवैध बिल्डिंग–होटल का निर्माण पूर्ण होकर अवैध व्यावसायिक गतिविधियॉ संचालित होने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त दिनांक 24.04.2023 को धारा 34(क) का नोटिस जारी कर दिनांक 25.04.2023 को जोन–13 के राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशादेही पर उक्त वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग–होटल के प्रवेश द्वारों, खिड़कियों इत्यादि को इंजीनियरिन्ग शाखा की मदद से ईटो की दीवारो से चुनवाकर, गेटों पर ताले, सील चपडी लगाकर पुख़्ता सीलिंग कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील हैं

25	08	भूखण्ड संख्या–195, आसींद नगर सांगानेर जयपुर।	28.04.2023	जोन–08 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित गैरअनुमोदित योजना आसींद नगर सांगानेर जयपुर के भूखण्ड संख्या–195, क्षेत्रफल करीब 444.44 वर्गगज में, जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर वॉयलेशन कर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बनीं ग्राउन्ड+03मंजिला (कुल 04 मंजिला) गंभीर प्रकृति के वृहद अवैध बिल्डिंग इत्यादि अवैध निर्माण के पुख़्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। उक्त गंभीर प्रकृति के अवैध निर्माण के अवधान में आने पर भूस्वामी को दिनांकः 18.03.2023 को धारा 32, 33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर उक्त वृहद स्तर के अवैध निर्माण को हटाने हेतु पाबंद किया गया था। अवैध निर्माणकर्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण प्रवर्तन शाखा की तकनीकी टीम से करवाया गया जो असंतोषप्रद पाया गया, अवैध निर्माण जारी रखने व भूस्वामी द्वारा अवैध निर्माण नही हटाने तथा उक्त वृहद् गंभीर प्रकृति के अवैध बिल्डिंग का निर्माण पूर्ण होकर अवैध व्यावसायिक गतिविधियॉ संचालित होने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त दिनांक 27.04.2023 को धारा 34(क) का नोटिस जारी कर दिनांक 28.04.2023 को जोन–08 के राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशादेही पर उक्त वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग–होटल के प्रवेश द्वारों, खिड़कियों इत्यादि को इंजीनियरिन्ग शाखा की मदद से ईटो की दीवारो से चुनवाकर, गेटों पर ताले, सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील हैं

~~26~~ 27	04	भूखण्ड संख्या–52 आवासीय योजना जय जवान कॉलोनी तृतीय।	09.05. 2023	जोन–04 के क्षेत्राधिकार क्षेत्र में अवस्थित गैरअनुमोदित आवासीय योजना जय जवान कॉलोनी तृतीय के आवासीय भूखण्ड संख्या–52 क्षेत्रफल करीब 400 वर्गगज में जविप्रा की बिना स्वीकृति–अनुमोदन के जीरों सेटबैक पर बिल्डिंग बॉयलाज का गंभीर उल्लंघन कर बने बेसमेंन्ट+04 मंजिला निर्माणाधीन वृहद् अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग की पुख़्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। उक्त गंभीर प्रकृति के वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग का अवैध निर्माण किये जाने का अवधान में आने पर भूस्वामी को दिनांक 07.02.2023 को धारा 32,33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया जाकर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर उक्त वृहद स्तर के अवैध निर्माण को हटाने हेतु पाबंद किया गया था। जारी नोटिसों के प्राप्त जवाब का प्रवर्तप प्रकोष्ठ की राजस्व व तकनीकी टीम से परीक्षण करवाया गया जो असंतोषप्रद पाया गया। उक्त निर्माणाधीन बेसमेंट+04 मंजिला वृहद् अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग के अवैध निर्माण का पूर्ण होकर अवैध व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त दिनांक 08.05.2023 को धारा 34(क) का नोटिस जारी कर दिनांक 09.05.2023 को उक्त वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग के प्रवेश द्वारों, इत्यादि को इंजिनियरिगं शाखा की मदद से ईटो की दीवारो से चुनवाकर, गेटों, पर ताले, सील चपडी लगाकर पुख़्ता सीलिंग कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील हैं

28	06	भूखण्ड संख्या–सी–178 कूकरखेड़ा अनाज मंडी के पास।	09.05. 2023	जोन–06 के क्षेत्राधिकार क्षेत्र में अवस्थित गैर अनुमोदितयोजना 4–सी, कूकरखेड़ा अनाज मंडी के पास आवासीय भूखण्ड संख्या–सी–178 क्षेत्रफल करीब 90X40 फीट (400 वर्गगज) में जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर वॉयलेशन कर जीरो सेटबैक पर ग्राउण्ड फ्लोर पर बनीं व्यावसायिक 06 दुकानें, दूसरी मंजिल पर आरसीसी के कॉलम व 10 फीट ऊँची दीवार बनाकर 12 कमरों इत्यादि अवैध निर्माण कर बनीं वृहद् अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग की पुख़्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। उक्त गंभीर प्रकृति के वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग का अवैध निर्माण किये जाने का अवधान में आने पर भूस्वामी को दिनांक 03.04.2023 को धारा 32,33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया जाकर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर उक्त वृहद स्तर के अवैध निर्माण को हटाने हेतु पाबंद किया गया था। इसके बावजूद भी भूस्वामी द्वारा अवैध निर्माण नही हटाया जाने व निर्माण पूर्ण होकर अवैध रहवास–व्यावसायिक गतिविधियॉ संचालित होने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त दिनांक 08.05.2023 को धारा 34(क) का नोटिस जारी कर दिनांक 09.05.2023 को उक्त वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग के प्रवेश द्वारों, इत्यादि को इंजिनियरिगं शाखा की मदद से ईटो की दीवारो से चुनवाकर, गेटों, शटर पर ताले, सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील हैं

28 29	04	भूखण्ड संख्या–47 कल्याण नगर तृतीय।	12.05. 2023	जोन–04 के क्षेत्राधिकार क्षेत्र में अवस्थित अनुमोदित आवासीय योजना कल्याण नगर तृतीय के गैरअनुमोदित भूखंण्ड संख्या–47 बी, क्षेत्रफल करीब 200 वर्गगज में जविप्रा की बिना स्वीकृति–अनुमोदन के जीरों सेटबैक पर बिल्डिंग बॉयलाज का गंभीर उल्लंघन कर बने बेसमेंन्ट सहित 04 मंजिला निर्माणाधीन वृहद् अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग की पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। उक्त गंभीर प्रकृति के वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग का अवैध निर्माण किये जाने का अवधान में आने पर भूस्वामी को दिनांक 06.04..2023 को धारा 32,33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया जाकर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर उक्त वृहद स्तर के अवैध निर्माण को हटाने हेतु पाबंद किया गया था। जारी नोटिसों के प्राप्त जवाब का प्रवर्तन प्रकोष्ठ की राजस्व व तकनीकी टीम से परीक्षण करवाया गया जो असंतोषप्रद पाया गया। उक्त निर्माणाधीन बेसमेंट सहित 04 मंजिला वृहद् अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग के अवैध निर्माण का पूर्ण होकर अवैध व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त दिनांक 11.05.2023 को धारा 34(क) का नोटिस जारी कर दिनांक 12.05.2023 को उक्त वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग के प्रवेश द्वारों, इत्यादि को इंजिनियरिगं शाखा की मदद से ईंटो की दीवारो से चुनवाकर, गेटों, पर ताले, सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील हैं

30	09	भूखण्ड संख्या–18 कृष्णा विहार जीवनरेखा अस्पताल के पास।	17.05. 2023	जोन–09 के क्षेत्राधिकार में जीवनरेखा अस्पताल के पास अवस्थित गैरअनुमोदित आवासीय योजना कृष्णा विहार के भूखण्ड संख्या–18 से 21 क्षेत्रफल करीब 696 वर्गगज म व्यावसायिक प्रयोजनार्थ लगभग 144X3.6 फीट में 08 डूप्लेक्स तथा भूखण्ड संख्या 25 व 26 क्षेत्रफल करीब 333.34 वर्गगज में लगभग 70X43 फीट में 04 डूप्लेक्स कुल 12 डूप्लेक्सों का जविप्रा की बिना स्वीकृति–अनुमोदन के ज़ीरों सेटबैक पर बिल्डिंग बॉयलाज का गंभीर उल्लंघन कर निर्माणाधीन वृहद् अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग–12 डूप्लेक्सों के अवैध निर्माण की नियमानुसार पुख़्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। उक्त गंभीर प्रकृति के वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग–12 डूप्लेक्सों का को अवैध निर्माण किये जाने का अवधान में आने पर भूस्वामी को दिनांकः 21.01.2023 व 24.01.2023 को धारा 32,33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया जाकर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर उक्त वृहद स्तर के अवैध निर्माण को हटाने हेतु पाबंद किया गया था। जारी नोटिसों के प्राप्त जवाब का प्रवर्तन प्रकोष्ठ की राजस्व व तकनीकी टीम से परीक्षण करवाया गया जो असंतोषप्रद पाया गया। उक्त निर्माणाधीन वृहद् अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग–12 डूप्लेक्सों के अवैध निर्माण का पूर्ण होकर अवैध आवासीय–व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त दिनांक 16.05.2023 को धारा 34(क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 17.05.2023 को उक्त वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग–12 डूप्लेक्सों के प्रवेश द्वारों, इत्यादि को इंजिनियरिगं शाखा की मदद से ईंटो की दीवारो से चुनवाकर, गेटों, पर ताले, सील चपडी लगाकर पुख़्ता सीलिंग कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील हैं [illegible]

3)	04	भूखण्ड संख्या–ई–14ए गोकुल वाटिका–ए, जवाहर सर्किल के पास।	20.05.2023	जोन–04 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित अनुमोदित आवासीय योजना गोकुल वाटिका–ए, जवाहर सर्किल के पास आवासीय भूखण्ड संख्या–ई–14ए क्षेत्रफल करीब 401 वर्गगज में जविप्रा की बिना स्वीकृति–अनुमोदन के जीरों सेटबैक पर बिल्डिंग बॉयलाज का गंभीर उल्लंघन कर गंभीर प्रकृति की 05 मंजिला निर्माणाधीन वृहद् अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग की पुख़्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। उक्त गंभीर प्रकृति के वृहद अवैध निर्माणाधीन व्यावसायिक बिल्डिंग का अवैध निर्माण किये जाने का अवधान में आने पर भूस्वामी को दिनांक 26.04.2023 को धारा 32,33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया जाकर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर उक्त वृहद स्तर के अवैध निर्माण को हटाने हेतु पाबंद किया गया था। जारी नोटिसों के प्राप्त जवाब का प्रवर्तन प्रकोष्ठ की राजस्व व तकनीकी टीम से परीक्षण करवाया गया प्राप्त जवाब असंतोषप्रद पाया गया। जारी नोटिसों के विरूद्ध अवैध निर्माणकर्ता द्वारा माननीय अपीलीय अधिकरण जविप्रा में प्रस्तुत अपील संख्या–252/2023 में जविप्रा द्वारा सटीकता, पूर्णता से प्रभावी ढंग से पक्ष रखा गया; पारित निर्णय दिनांकः 26.04.2023 की अनुपालना में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए दिनांकः 12.05.2023 को निर्णय आदेश 07 दिवस का विधिक नोटिस जारी कर उक्त अवैध निर्माण को हटाने हेतु पुनः पाबंद किया गया। किन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाया गया। उक्त निर्माणाधीन 05 मंजिला वृहद् अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग के अवैध निर्माण पूर्ण होकर अवैध व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किये जाने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त दिनांक 19.05.2023 को धारा 34(क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 20.05.2023 को उक्त वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग के प्रवेश द्वारों, इत्यादि को इंजिनियरिग शाखा की मदद से ईंटो की दीवारो से चुनवाकर, गेटों, पर ताले, सील चपडी लगाकर पुख़्ता सीलिंग कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील हैं

31	10	योजना नारायण धाम, कुंड रोड़ जयसिंहपुरा खोर	20.05. 2023	जोन–10 के क्षेत्राधिकार इकोलॉजिकल जोन में अवस्थित गैर अनुमोदित योजना नारायण धाम, कुंड रोड़ जयसिंहपुरा खोर में करीब 90X30 वर्गफीट (क्षेत्रफल 300 वर्गगज) में जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के बिल्डिंग बॉयलाज का गंभीर उल्लंघन कर बिल्डर द्वारा व्यावसायिक प्रयोजनार्थ निर्माणाधीन 06 अवैध विलाजों की पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही। बिल्डर द्वारा व्यावसायिक प्रयोजनार्थ 06 अवैध विलाज़ का निर्माण किये जाने पर इनके विरूद्ध दिनांक: 13. 12.2022 को धारा–32, 33 जेडीए अधिनियम 1982 के तहत नोटिस जारी किये जाकर इस गंभीर प्रकृति के अवैध निर्माण को रूकवाया गया, तथा हटाने हेतु पाबंद किया गया। निर्माणकर्ता द्वारा जवाब पेश किया गया। प्रवर्तन प्रकोष्ठ की राजस्व व तकनीकी टीम से परीक्षण करवाया गया प्राप्त जवाब असंतोषप्रद पाया गया। उक्त 05 अवैध विलाओं में रहवास होने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त दिनांक 19.05.2023 को जेडीए संशोधित अधिनियम 2010 की धारा 34(क) का नोटिस जारी कर दिनांक 20.05.2023 को उक्त 06 निर्माणाधीन अवैध विलाओं के प्रवेश द्वारों, इत्यादि को इंजिनियरिगं शाखा की मदद से ईंटो की दीवारो से चुनवाकर, गेटों, पर ताले, सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील हैं

32	prn(s)	भूखण्ड संख्या–75 नवकार नगर कॉलोनी मानसरोवर	20.05.2023	जोन–पीआरएन (साउथ) के क्षेत्राधिकार में अवस्थित कॉलोनी नवकार नगर मानसरोवर के भूखण्ड संख्या–75 में जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के बिल्डिंग बॉयलाज का गंभीर उल्लंघन करते हुए करीब 60X40 फीट (क्षेत्रफल 311.11 वर्गगज) में बेसमेन्ट+03 मंजिला ढांचा खड़ा कर 04 मंजिल के लिए पिल्लर खड़े कर निर्माणाधीन व्यावसायिक बिल्डिंग के पुख़्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। उक्त अवैध व्यावसायिक निर्माण का अवधान में आने पर दिनांक: 17.12.2022 को धारा–32, 33 जेडीए एक्ट के नोटिस जारी कर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर हटाने हेतु पाबंद किया गया था। जारी नोटिसों के उपरांत भी भू–स्वामी द्वारा मौके पर अवैध निर्माण जारी रखने पर अवैध निर्माण को रूकवाया जाकर निर्माण में प्रयुक्त औज़ार–उपकरणों को दिनांक: 07.01.2023 को ज़रिये रसीद ज़ब्त किया गया। उक्त निर्माणाधीन अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग का निर्माण पूर्ण होकर अवैध व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किये जाने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त दिनांक 19.05.2023 को धारा 34(क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 20.05.2023 को उक्त वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग के प्रवेश द्वारों, इत्यादि को इंजिनियरिंग शाखा की मदद से ईंटो की दीवारो से चुनवाकर, गेटों, पर ताले, सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील हैं

34	06	भूखण्ड संख्या—24 गर वीकेआईए रोड़ नम्बर 05 के सामने सीकर रोड़।	24.05.2023	जोन—06 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित गैरअनुमोदित योजना स्कीम नम्बर—05, कल्याण नगर वीकेआईए रोड़ नम्बर 05 के सामने सीकर रोड़ के भूखण्ड संख्या—24 के पूर्वी भाग में करीब 31X45 फीट (क्षेत्रफल करीब 158 वर्गगज) में जविप्रा की बिना स्वीकृति—अनुमोदन के जीरों सेटबैक पर बिल्डिंग बॉयलाज का गंभीर उल्लंघन कर गंभीर प्रकृति बेसमेन्ट+ 04 मंजिला निर्माणाधीन वृहद् अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग की पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। उक्त गंभीर प्रकृति के वृहद अवैध निर्माणाधीन व्यावसायिक बिल्डिंग का अवैध निर्माण किये जाने का अवधान में आने पर भूस्वामी को दिनांक 29.04.2023 को धारा 32,33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया जाकर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर उक्त वृहद स्तर के अवैध निर्माण को हटाने हेतु पाबंद किया गया था। अवैध निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने एवं उक्त निर्माणाधीन वृहद् अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग का अवैध निर्माण पूर्ण कर अवैध व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किये जाने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त दिनांक 23.05.2023 को धारा 34(क) का नोटिस जारी कर दिनांक 24.05.2023 को उक्त वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग के प्रवेश द्वारों, खिड़कियों इत्यादि को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ईंटो की दीवारो से चुनवाकर, गेटों, पर ताले, सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील हैं

35	08	भूखण्ड संख्या 171, 172 शिव एनक्लेव।	24.05. 2023	जोन–08 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित अनुमोदित आवासीय योजना शिव एनक्लेव में भूखण्ड संख्या 171, 172 दोनों भूखण्ड़ों को अवैध रूप से संयुक्त कर करीब क्षेत्रफल 264 वर्गगज में जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के बिल्डिंग बॉयलाज का गंभीर उल्लंघन कर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बनें निर्माणाधीन बेसमेन्ट+03 मंजिला वृहद् अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग की पुख़्ता सीलिंग की कार्यवाही। उक्त गंभीर प्रकृति के वृहद् अवैध व्यावसायिक प्रयोजनार्थ निर्माण किये जाने पर निर्माणकर्ता को दिनांकः 08.04.2023 को धारा–32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी किये जाकर इस गंभीर प्रकृति के अवैध निर्माण को रूकवाया गया, तथा हटाने हेतु पाबंद किया गया। निर्माणकर्ता द्वारा जवाब पेश किया गया। प्रवर्तन प्रकोष्ठ की राजस्व व तकनीकी टीम से परीक्षण करवाया गया प्राप्त जवाब असंतोषप्रद पाया गया। जो स्वीकार योग्य नहीं पाया। निर्माणकर्ता द्वारा माननीय अपीलीय अधिकरण जविप्रा में अपील संख्या 293/2023 दायर की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 16.05.2023 को अंतरिम आदेश पारित कर जेडीए को अनुज्ञेय निर्माण के अतिरिक्त निर्माण पर कार्यवाही हेतु स्वतंत्र रखा गया। उक्त वृहद् अवैध बिल्डिंग में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त दिनांक 23.05.2023 को जेडीए एक्ट की धारा 34(क) का नोटिस जारी कर दिनांक 24.05.2023 को उक्त निर्माणाधीन वृहद् अवैध बिल्डिंग के प्रवेश द्वारों, खिड़कियों इत्यादि को इंजिनियरिगं शाखा की मदद से ईंटो की दीवारो से चुनवाकर, गेटों, पर ताले, सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील हैं

36	09	भूखण्ड संख्या–178 पशुपति नाथ नगर।	25.05.2023	जोन–09 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित अनुमोदित आवासीय योजना पशुपति नाथ नगर के भूखण्ड संख्या–178 क्षेत्रफल करीब 267.32 वर्गगज में जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के जीरों सेटबैक पर बिल्डिंग बॉयलाज का गंभीर उल्लंघन करते हुए बनीं 04 मंजिला निर्माणाधीन वृहद् अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग की पुख़्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। करीब 59X55 फीट में जीरों सेटबैक पर 02 मंजिला अवैध व्यावसायिक निर्माण करने का अवधान में आने पर दिनांकः 16.04.2019 को धारा–32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर हटाने हेतु पाबंद किया गया था। नोटिसों के विरूद्ध प्राप्त जवाब परीक्षणोपरान्त असंतोषजनक पाया गया; फिर भी सेटबैक व बिल्डिंग बॉयलाज का गंभीर उल्लंघन करतें हुए निर्माणकर्ता द्वारा व्यावसायिक प्रयोजनार्थ पुनः अवैध निर्माण शुरू कर कुल 04 मंजिला वृहद् व गंभीर प्रकृति का अवैध निर्माण कर लिया गया। उक्त निर्माणाधीन अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग का निर्माण पूर्ण होकर अवैध व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किये जाने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त दिनांक 23.05.2023 को धारा 34(क) का नोटिस जारी कर दिनांक 24.05.2023 को उक्त वृहद अवैध व्यावसायिक 04 मंजिला बिल्डिंग के प्रवेश द्वारों, इत्यादि को इंजिनियरिगं शाखा की मदद से ईंटो की दीवारो से चुनवाकर, गेटों, पर ताले, सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील हैं

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

विषयः—दिनांक 03.11.2022 से 30.05.2023 तक प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा सील की गई अवैध बिल्डिंग—व्यावसायिक भवनों की सूची जेडीए वेबसाईट पर अपलोड करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रवर्तन शाखा द्वारा दिनांक 01.01.2019 से 02.11.2022 तक कुल 131 अवैध बिल्डिंग—व्यावसायिक भवनों को सील किया जाकर सूची जेडीए की वेबसाईट पर अपलोड करवायी गयी है; इसी क्रम में दिनांक 03.11.2022 से 30.05.2023 तक प्रवर्तन शाखा द्वारा सील की गई कुल 36 अवैध बिल्डिंग—व्यावसायिक भवनों की सूची जेडीए की वेबसाईट पर अपलोड करनें हेतु प्रेषित है।

संलग्नः— उपर्युक्तानुसार सूची(कुल पृष्ट—29)

08/06/2023

(रघुवीर सैनी)
मुख्य नियंत्रक—प्रवर्तन,

सिस्टम एनालिस्ट
जयपुर विकास प्राधिकण,
जयपुर।

....

क्रमांकः—जविप्रा/मुनिप्र/2023/डी—2173 दिनांक 8/06/23

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित हैं:—

1. आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।

08/06/2023

(रघुवीर सैनी)
मुख्य नियंत्रक—प्रवर्तन,